(

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक– प्र0/बजट-02/13 पटना, दिनांक –__________

प्रेषक:

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **राज्य के ग्रामों का शत–प्रतिशत विद्युतीकरण करने हेतु केन्द्रीय प्रक्षेत्र के उपक्रमों द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अन्तर्गत कार्य कराने के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण के विरूद्ध दिनांक 20.03.2018 तक देय सूद के रूप में रू0 1,21,61,336/– (एक करोड़ इक्कीस लाख इकसठ हजार तीन सौ छत्तीस रूपये मात्र) का भुगतान ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2017–18 में करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–847 दिनांक–15.03.2018 के आलोक में राज्य के ग्रामों का शत–प्रतिशत विद्युतीकरण करने हेतु केन्द्रीय प्रक्षेत्र के उपक्रमों द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अन्तर्गत कार्य कराने के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण के विरूद्ध दिनांक 20.03.2018 तक देय सूद के रूप में रू0 1,21,61,336/– (एक करोड़ इक्कीस लाख इकसठ हजार तीन सौ छत्तीस रूपये मात्र) का भुगतान ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2017–18 में करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज–उपमुख्य शीर्ष–00–, लघु शीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0015 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरशन लि0 से लिए गये ऋण के सुद के भुगतान हेतु माँग सं0–10 विपत्र कोड 10–6801001900015, विषय शीर्ष–5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2017–18	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
65829000.00	53667664.00	12161336.00	65829000.00	00.00

कृ0पृ0उ0

G:\OFFICE FILE vipul\2018\A W\अमेंद्र सर Rajya desh

3. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही राशि की निकासी करेंगे।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, के चालू खाता संख्या–11084238311, IFSC कोड SBIN0000691 में RTGS के माध्यम से किया जाएगा।

5. आवंटित राशि निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(प्रत्यय अमृत,)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – प्र0/बजट-02/13 दिनांक ....

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – प्र0/बजट-02/13 29 दिनांक 19/03/2018

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/प्रशाखा–7/ वित्त विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।